रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940
No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सा.का.नि. 492(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के उद्देश्य से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में पेटकोक की बिक्री तथा प्रयोग के संबंध में उपाय किये जाने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में चूना भट्टों में पेटकोक की बिक्री और प्रयोग के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2018 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 (अ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) जारी की थी।

और उक्त अधिसूचना को जारी करने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अनुज्ञात प्रयोग के मामलों में भी, प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा आयात नहीं किया जा रहा है और आयात प्रायः सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा रहा है।

और उक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद मंत्रालय का यह सुविचारित राय है कि उक्त अधिसूचना के अधीन प्रयोक्ता की सुविधा के लिए उन्हें, उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अध्यधीन, सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों में पेटकोक की बिक्री और प्रयोग के मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाने और निगरानी को बेहतर बनाने की भी आवश्यकता है;

और अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 जनवरी, 2018 की उक्त अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 (अ) में, एतद् द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, -

(i) निदेश (1) में, 'ईंधन के रूप में' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) निदेश (8) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु यदि कोई पंजीकृत औद्योगिक इकाई अपनी ओर से पेटकोक का आयात करने के लिए तीसरे पक्षकार को नियुक्त करने की इच्छुक है तो उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि –

(क) ऐसा तीसरा पक्षकार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत हो;

(ख) तीसरे पक्षकार द्वारा किया जाने वाला आयात, निदेश (2) मे उल्लिखितानुसार औद्योगिक इकाई की वास्तविक आवश्यकता तक सीमित हो और यह किसी अन्य पक्षकार को बिक्री के लिए न हो;

(ग) ऐसा तीसरा पक्षकार खंड (i) और (ii) के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राधिकरणों को इस आशय की घोषणा उद्घोषणा प्रस्तुत करे।

(iii) निदेश (11) के स्थान पर, निम्नलिखित निदेश को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(11) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, सहमतियों, पंजीकरण, तेल शोधन कारखानों द्वारा की गई बिक्रियों के रिकॉर्ड और औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए उपयोग के रिकार्ड को अपलोड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड सिस्टम बनाएंगे और उक्त बोर्ड इन आंकड़ों को पहले एक वर्ष तक मासिक आधार पर और उसके बाद त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा करेंगे और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त होने के बाद इन आंकड़ों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबससाइट पर दर्शाया जाएगा"।

[फा. सं. क्यू-16017/4/2018—सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45 (अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018

G.S.R. 492(E).—Whereas, with a view to protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution in the National Capital Region (NCR) States, there is a need to take measures relating to sale and use of pet coke in the NCR States;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government issued notification, published vide number G. S. R. 45 (E), dated the 19th January, 2018, for sale and use of pet coke in lime kiln in NCR States (hereinafter referred to as the said notification);

And Whereas, subsequent to issuance of the said notification, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry) has received representations that even in cases of permitted use, imports are not undertaken by the user agencies and are usually sourced through import facilitators;

And Whereas, the Ministry after considering the said representations is of the considered opinion that in order to facilitate the user under the said notification, they can be permitted to source through import facilitators subject to provisions of the said notification;

And Whereas, there is further need for enhancing transparency and better monitoring with reference to sale and use of pet coke in the NCR States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification number G. S. R. 45(E), dated the 19th January, 2018, namely: -

In the said notification, -

(i) in direction (1), the words "as a fuel" shall be omitted;
(ii) in direction (8), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that in case, a registered industrial unit desires to engage a third party to import pet coke on its behalf, the same may be permitted, if-

(a) such third party registers with the concerned State Pollution Control Board;
(b) the import by the third party is limited to the actual requirement of the industrial unit as specified in direction (2) and not for sale to any other party;
(c) such third party furnishes declaration with respect to clauses (i) and (ii) to the custom authorities.";

(iii) for direction (11), the following direction shall be substituted, namely:-

"(11) The NCR States Pollution Control Boards shall develop an electronic record system for uploading of consents, registration, record of sales by oil refineries, and record of use by industrial units, as mentioned above and the said Boards shall share this data with the Central Pollution Control Board on a monthly basis for the first one year and thereafter on quarterly basis, and this data shall be published on the Central Pollution Control Board website on receipt from the States Pollution Control Boards".

[F. No. Q-16017/4/2018-CPA]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: the principal notification was published vide number G.S.R 45 (E), dated the 19th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सा.का.नि. 493(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के उद्देश्य से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में पेटकोक की बिक्री तथा प्रयोग के संबंध में उपाय किये जाने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों के सीमेंट संयंत्रों में पेटकोक की बिक्री और प्रयोग के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2018 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46 (अ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) जारी की थी।

और उक्त अधिसूचना को जारी करने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अनुज्ञेय प्रयोग के मामलों में भी, प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा आयात नहीं किया जा रहा है और आयात प्राय: सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा रहा है।

और उक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद मंत्रालय का यह सुविचारित राय है कि उक्त अधिसूचना के अधीन प्रयोक्ता की सुविधा के लिए उन्हें, उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अध्यधीन, सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों में पेटकोक की बिक्री और प्रयोग के मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाने और निगरानी को बेहतर बनाने की भी आवश्यकता है;

और अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19 जनवरी, 2018 की उक्त अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46 (अ) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, -

(i) निदेश (1) में, 'ईंधन के रूप में' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) निदेश (8) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यदि कोई पंजीकृत औद्योगिक इकाई अपनी ओर से पेटकोक का आयात करने के लिए तीसरे पक्षकार को नियुक्त करने की इच्छुक है तो उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि –

(क) ऐसा तीसरा पक्षकार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत हो;

(ख) तीसरे पक्षकार द्वारा किया जाने वाला आयात, निदेश (2) मे उल्लिखितानुसार औद्योगिक इकाई की वास्तविक आवश्यकता तक सीमित हो और यह किसी अन्य पक्षकार को बिक्री के लिए न हो;

(ग) ऐसा तीसरा पक्षकार खंड (i) और (ii) के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राधिकरणों को इस आशय की घोषणा उद्घोषणा प्रस्तुत करे।

(iii) निदेश (11) के स्थान पर, निम्नलिखित निदेश को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(11) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, सहमतियों, पंजीकरण, तेल शोधन कारखानों द्वारा की गई बिक्रियों के रिकॉर्ड और औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए उपयोग के रिकार्ड को अपलोड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड सिस्टम बनाएंगे और उक्त बोर्ड इन आंकड़ों को पहले एक वर्ष तक मासिक आधार पर और उसके बाद त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा करेंगे और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त होने के बाद इन आंकड़ों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबससाइट पर दर्शाया जाएगा"।

[फा. सं. क्यू-16017/4/2018—सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46 (अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018

G.S.R. 493(E).—Whereas, with a view to protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution in the National Capital Region (NCR) States, there is a need to take measures relating to sale and use of pet coke in the NCR States;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government issued notification, published vide number G. S. R. 46 (E), dated the 19th January, 2018, for sale and use of pet coke in cement plant in NCR States (hereinafter referred to as the said notification);

And Whereas, subsequent to issuance of the said notification, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry) has received representations that even in cases of permitted use, imports are not undertaken by the user agencies and are usually sourced through import facilitators;

And Whereas, the Ministry after considering the said representations is of the considered opinion that in order to facilitate the user under the said notification, they can be permitted to source through import facilitators subject to provisions of the said notification;

And Whereas, there is further need for enhancing transparency and better monitoring with reference to sale and use of pet coke in the NCR States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central overnment hereby makes the following amendments in the said notification number G. S. R. 46(E), dated the 19th January, 2018, namely: -

In the said notification, -

(i) in direction (1), the words "as a fuel" shall be omitted;
(ii) in direction (8), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that in case, a registered industrial unit desires to engage a third party to import pet coke on its behalf, the same may be permitted, if-

(a) such third party registers with the concerned State Pollution Control Board;

(b) the import by the third party is limited to the actual requirement of the industrial unit as specified in direction (2) and not for sale to any other party;

(c) such third party furnishes declaration with respect to clauses (i) and (ii) to the custom authorities.";

(d) for direction (11), the following direction shall be substituted, namely:-

"(11) The NCR States Pollution Control Boards shall develop an electronic record system for uploading of consents, registration, record of sales by oil refineries, and record of use by industrial units, as mentioned above and the said Boards shall share this data with the Central Pollution Control Board on a monthly basis for the first one year and thereafter on quarterly basis, and this data shall be published on the Central Pollution Control Board website on receipt from the States Pollution Control Boards".

[F. No. Q-16017/4/2018-CPA]

RITESH KUMAR SINGH, Joint Secretary

Note : the principal notification was published vide number G.S.R 46(E), dated the 19th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सा.का.नि. 494(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण तथा सुधार और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के उद्देश्य से एनसीआर राज्यों में पेटकोक की बिक्री तथा उपयोग के संबंध में उपाय किए जाने की आवश्यकता है;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को पेटकोक की बिक्री, उपयोग और आयात के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो दर्शाते हैं कि अनुज्ञात उपयोग की दशा में भी प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा आयात नहीं किया जाता है और सामान्यता आयात समन्वयकों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं;

और मंत्रालय का उक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात यह सुविचारित राय है कि इस अधिसूचना के अधीन प्रयोक्ता को सुकर बनाने के लिए उन्हें इस अधिसूचना के उपबंधों के अध्यधीन आयात समन्वयकों के माध्यम से स्रोत को अनुज्ञात किया जा सकता है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निदेश जारी करती है अर्थात्:-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों में ईंधन ग्रेड पेटकोक का उपयोग कर रहे कार्बाइड विनिर्माणकारी उद्योग, जिसमें यह विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है और न कि ईंधन के रूप में, पेटकोक की बिक्री और उपयोग:-

(1) अपनी प्रक्रिया में पेटकोक का इस्तेमाल करने वाले, कार्बाइड विनिर्माणकारी उद्योग, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति प्राप्त किये बिना और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण कराये बिना एनसीआर राज्यों में कार्य नहीं करेगा।

(2) संबद्ध राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी सम्मति में, प्रति माह और प्रति वर्ष उत्पादित उत्पादों की मात्रा की तुलना में प्रति माह और प्रति वर्ष प्रक्रिया के लिए अनुमन्य मात्रा को स्पष्टत: रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) औद्योगिक इकाई को, इसकी तीन माह की खपत से अधिक पेटकोक का भंडारण करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(4) एनसीआर राज्यों में पेटकोक के सभी उत्पादकों या परिष्करणियों, उनके प्राधिकृत व्यवहारियों तथा प्रयोक्ताओं का संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

(5) परिष्करणियां और उनके प्राधिकृत व्यवहारी एनसीआर राज्यों से संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सम्मति में अनुमन्य मात्रा के अनुसार केवल सम्मति-प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत औद्योगिक इकाइयों को ही पेटकोक की बिक्री करेंगे।

(6) उत्पादकों और परिष्करणियों द्वारा पेटकोक की बिक्री अधिकतम दो चरणों में होगी, परिष्करणी से उद्योग या परिष्करणी से प्राधिकृत व्यवहारी से उद्योग।

(7) एनसीआर राज्यों की केवल सम्मति प्राप्त तथा रजिस्ट्रीकृत औद्योगिक इकाइयों को ही पेटकोक का सीधे आयात की अनुज्ञा दी जाएगी और परेषित माल प्रयोक्ता औद्योगिक इकाई के नाम से केवल उनके स्वयं के प्रयोग के लिए होगा।

(8) एनसीआर राज्यों में व्यापार के प्रयोजनों के लिए पेटकोक के आयात की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

"परंतु यदि कोई पंजीकृत औद्योगिक इकाई अपनी ओर से पेटकोक का आयात करने के लिए तीसरे पक्षकार को नियुक्त करने की इच्छुक है तो उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि–

(क) ऐसा तीसरा पक्षकार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत हो;

(ख) तीसरे पक्षकार द्वारा किया जाने वाला आयात, निदेश (2) मे उल्लिखितानुसार औद्योगिक इकाई की वास्तविक आवश्यकता तक सीमित हो और यह किसी अन्य पक्षकार को बिक्री के लिए न हो;

(ग) ऐसा तीसरा पक्षकार खंड (क) और (ख) के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राधिकरणों को इस आशय की घोषणा उद्घोषणा प्रस्तुत करे।

(9) उत्पादक या परिष्करणियां और उनके प्राधिकृत व्यवहारी माह के दौरान उत्पादित और अंतिम प्रयोक्ता औद्योगिक इकाइयों को बेचे गये पेटकोक और आरंभ और अंतिम स्टॉक का ब्यौरा त्रैमासिक आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(10) तेल परिष्करणियों सहित सभी अंतिम प्रयोक्ता मास के दौरान विभिन्न स्रोतों से पेटकोक (स्वउत्पादित, आयातित, परिष्करणियों या प्राधिकृत व्यवहारियों से खरीदे गये), मास के दौरान प्रयुक्त मात्रा, और आरंभ और अंतिम स्टाक का ब्यौरा त्रैमासिक आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(11) एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सम्मतियों, रजिस्ट्रीकरण, तेल परिष्करणियों द्वारा की गई बिक्रियों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग के अभिलेख को अपलोड करने के लिए एक इलैक्ट्रोनिक अभिलेख प्रणाली को विकसित करेंगे और उक्त बोर्ड पहले वर्ष में इस जानकारी को मासिक आधार पर और तत्पश्चात त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ शेयर करेंगे और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त होने पर यह डाटा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(12) एनसीआर राज्यों में स्थित औद्योगिक इकाइयां पेटकोक को केवल उत्पादकों या परिष्करणियों और उनके प्राधिकृत व्यवहारियों से प्राप्त (सोर्स) करेंगी और वे इन उत्पादों को किसी अन्य बिचौलिया स्रोत से प्राप्त नहीं करेंगी चाहे वे एनसीआर राज्यों से बाहर अवस्थित हों।

(13) एनसीआर से इतर राज्यों में उत्पादकों या परिष्करणियों तथा उनके प्राधिकृतिक व्यवहारियों को, जो एनसीआर राज्यों में प्रयोक्ता उद्योगों को बिक्री कर रहे हैं, उपर्युक्त निदेश (4) के अनुसार उन राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रजिस्ट्रीकरण कराना होगा, जहां अंतिम प्रयोक्ता रह रहे हैं और वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिक्रियां उपर्युक्त (5) और (6) में दिये गये निदेशों के अनुसार हों और वे उपर्युक्त निदेश (9) के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट उस राज्य के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल करेंगे, जहां अंतिम प्रयोक्ता रहते हैं।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. क्यू-16017/4/2018-सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018

G.S.R. 494(E).—Whereas, with a view to protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution in the National Capital Region (NCR) States, there is a need to take measures relating to sale and use of pet coke in the NCR States;

And Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry) has received representations with reference to sale, use and import of petcoke indicating the even in cases of permitted use, imports are not undertaken by the user agencies and are usually sourced through import facilitators;

And Whereas, the Ministry after considering the said representations is of considered opinion that in order to facilitate the user under this notification, they can be permitted to source through import facilitators subject to the provisions of this notification:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby issues the following directions, namely:-

Sale and use of pet coke in NCR States for carbide manufacturing industry using fuel grade pet coke wherein it is used in the manufacturing process and not as a fuel: -

(1) The carbide manufacturing industry consuming pet coke in the process shall not operate in NCR States without obtaining the consent of and registration with the concerned State Pollution Control Board.

(2) Consent issued by the concerned State Pollution Control Board shall clearly specify the quantity for the process permitted per month and per annum vis-à-vis products produced per month and per annum.

(3) Industrial unit shall not be permitted to store pet coke for more than its three month's consumption.

(4) All producers or refineries, their authorised dealers and users of pet coke in NCR States, shall be registered with the concerned State Pollution Control Board.

(5) Refineries and their authorised dealers shall sell pet coke to only consented and registered industrial units in the NCR States according to the quantity permitted in the consent issued by the concerned State Pollution Control Board.

(6) Sale of pet coke by producers or refineries shall be in maximum two steps, from refinery-to-industry or from refinery-to-authorised dealer-to-industry.

(7) Only consented and registered industrial units of NCR States shall be permitted to directly import pet coke and consignment shall be in the name of user industrial units for their own use only.

(8) Import of pet coke for the purpose of trading shall not be permitted in NCR States:

Provided that in case a registered industrial unit desires to engage a third party to import pet coke on its behalf, the same may be permitted, if-

(a) such third party registers with the concerned State Pollution Control Board;
(b) the import by the third party is limited to the actual requirement of the industrial unit as specified in direction (2) and not for sale to any other party;
(c) such third party furnishes declaration with respect to clauses (a) and (b) to the custom authorities.

(9) Producers or refineries and their authorised dealers shall submit details of pet coke produced and sold to end user industrial units during the month, and opening and closing stock to the concerned State Pollution Control Board on quarterly basis.

(10) All end user industrial units, including oil refineries, shall submit details of pet coke from different sources during the month (self-produced, imported, purchased from refineries or authorised dealers), quantity consumed during the month, and opening and closing stock to the concerned State Pollution Control Board on quarterly basis.

(11) The NCR States Pollution Control Boards shall develop an electronic record system for uploading of consents, registration, record of sales by oil refineries, and record of use by industrial units, as mentioned above and the

said Boards shall share this data with the Central Pollution Control Board on a monthly basis for the first one year and thereafter on quarterly basis, and this data shall be published on the Central Pollution Control Board website on receipt from the State Pollution Control Board.

(12) Industrial units in NCR States shall source pet coke only from producers or refineries and their authorised dealers and they shall not source these products from any other intermediaries even when they are located outside the NCR States.

(13) For producers or refineries and their authorised dealers in non NCR States who are making sales to user industries in NCR States, such producers or refineries shall have to be registered with the State Pollution Control Board of the States where the end users reside in accordance with direction (4) above and they shall ensure that the sales are as per the directions (5) and (6) above, and they shall file quarterly reports to the State Pollution Control Board of the State where the end users reside in accordance with direction (9) above.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. Q-16017/4/2018-CPA]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.29 11:38:26 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940
No. 350] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सा.का.नि. 495(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में, चूना भट्टियों में पेटकोक का विक्रय और प्रयोग भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें केवल उक्त अधिसूचना से उपाबंध के रूप में संलग्न सूची में उल्लिखित केवल औद्योगिक इकाइयों को पेटकोक का विक्रय किया जाता है और उक्त सूची में कोई परिवर्तन, संबद्ध राज्य सरकार की सिफारिश और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा।

और, राजस्थान राज्य सरकार ने उपरोक्त उल्लिखित उपाबंध में 36 चूना भट्टियों को जोड़े जाने की सिफारिश की है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे अनुमोदित कर दिया है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 के उपखंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के उपाबंध में, क्रम सं. 323 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"324	मैसर्स श्री जीन माता केमिकल्स एंड लाइम प्रा.लि.	गांव लालावास, तहसील - खिंवसार, जिला नागौर।	2	900	1890	180
325	मैसर्स विकास लाइम प्रोडक्ट्स	खसरा सं. 364/3, हरियाधाना, तहसील- बिलारा , जिला जोधपुर।	2	1666	3499	333

326	मैसर्स विकास लाइम इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 384/25/1, हरियाधाना, तहसील- बिलारा, जिला जोधपुर।	1	600	1260	120
327	मैसर्स बालाजी केमिकल्स	खसरा सं. 575/53, मिर्धा कृषि फार्म के पास, रांसी गांव, तहसील -बिलारा, जिला जोधपुर।	2	833	1749	167
328	मैसर्स स्पेशल लाइम स्टोन प्रा.लि.	गांव तलानपुर का खसरा सं. 350 और गांव गोटन का खसरा संख्या 1842, तहसील - मेर्टा, जिला- नागौर।	10	6000	12600	1200
329	मैसर्स जेबी लाइम उत्पाद	खसरा सं. 1903/11/01 बोरुंडा, तहसील -बिलारा, जोधपुर।	2	1800	3780	360
330	मैसर्स आरके सप्लायर	खसरा सं. 1903/11, बोरूंडा, तहसील -बिलारा, जोधपुर।	1	1500	3150	300
331	मैसर्स शुभम लाइम एंड केमिकल्स	गांव - बिटन , तहसील - मेर्टा, जिला- नागौर।	1	500	1050	100
332	मैसर्स साहिल बंसल	खसरा सं. 117, गांव श्याम नगर, माओन्डा, तहसील - नीम का थाना, जिला- सीकर।	1	300	630	60
333	मैसर्स मारुधर लाइमस्टोन इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 725/185, बसनी हरिसिंह, तहसील भोपालगढ़ , जिला- जोधपुर।	1	1250	2625	250
334	मैसर्स श्री कृष्णा लाइम एंड कैमिकल्स	खसरा सं. 568/1296, भवांडा, तहसील - खिंवसार, जिला नागौर।	1	425	892	85
335	मैसर्स सलासर मिनरल्स	डिग्रना तहसील – जल्ताराम , जिला- पाली।	3	1833	3849	367
336	मैसर्स चंद्र लाइम वर्ड	खसरा सं.1301/1/7, बिलारा रोड, गांव बोरुंडा, तहसील-बिलारा, जिला-जोधपुर।	1	1500	3150	300
337	मैसर्स धनेश्वरी केमिकल्स	खसरा सं. 1323/3, गांव- रियान, तहसील-बिलारा , जिला-जोधपुर।	1	1500	3150	300
338	मैसर्स गणेशम इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 80/10, पुलिस थाना के पास, गांव- बोरुंडा, तहसील- बिलारा जिला-जोधपुर।	1	1500	3150	300
339	मैसर्स ईश्वर माइक्रो खनिज इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 217/6, गांव- सुवाना, तहसील-भोपालगढ़ , जिला- जोधपुर।	1	570	1197	114
340	मैसर्स कृष्णा केमिकल एंड मिनरल्स	खसरा सं. 608/4/1, गांव- रांसीगांव, तहसील- बिलारा , जिला-जोधपुर।	1	1140	2394	228

341	मैसर्स माधव लाइम इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 724/7, रांसीगांव, तहसील- बिलारा , जिला-जोधपुर।	1	600	1260	120
342	मैसर्स महावीर केमिकल	खसरा सं. 1502, गांव- बोरुंडा, तहसील- बिलारा , जिला-जोधपुर।	1	750	1575	150
343	मैसर्स मारवाड़ केमिकल एंड एलयड प्रोडक्ट्स	खसरा सं. 215/4 और 215/5, झाक, तहसील-बिलारा, जिला-जोधपुर।	1	750	1575	150
344	मैसर्स मोनिका लाइम इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 1495/13, बोरुंडा, तहसील-पिपरसिटी , जिला-जोधपुर।	3	833	1749	167
345	मैसर्स मुन्ना लाइम उत्पाद	खसरा सं. 1796/15, बोरुंडा, तहसील- बिलारा , जिला-जोधपुर।	3	1000	2100	200
346	मैसर्स पोद्दार केमिकल्स	खसरा सं. 2381/1/1 और 2395/9/2, भाखारो की धानी, बोरुंडा, तहसील- बिलारा , जिला-जोधपुर।	1	450	945	90
347	मैसर्स क्वालिटी लाइम सप्लायर्स	खसरा सं. 1836, बोरुंडा-मेर्टा सिटी रोड, बोरुंडा, तहसील-बिलारा, जिला-जोधपुर।	2	1261	2648	252
348	मैसर्स सैंड्यून मिनरल्स प्रा.लि.	खसरा सं. 798 और 801, खेजरला, तहसील-बिलारा, जिला-जोधपुर।	3	3000	6300	600
349	मैसर्स श्री नागनेचा मिनरल्स एंड कैमिकल	खसरा सं. 1502/2, गांव-बोरुंडा, तहसील- बिलारा, जिला-जोधपुर।	1	750	1575	150
350	मैसर्स श्याम केमिकल्स	खसरा सं. 724/3/1, गांव- रांसी गांव, तहसील- बिलारा, जिला-जोधपुर।	1	625	1313	125
351	मैसर्स सोनल लाइम इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 72/12/1, बोरुंडा, तहसील- बिलारा , जिला-जोधपुर।	1	450	945	90
352	मैसर्स श्रीकांत मिनरल्स प्रा.लि.	खसरा सं. 255/3, खेजरला-रांसी रोड, गांव- रांसी गांव, तहसील-बिलारा, जिला-जोधपुर।	4	2400	-5040	480
353	मैसर्स सुभम कैमिकल्स	खसरा सं. 616, हरिधाना, तहसील- बिलारा , जिला-जोधपुर।	1	375	788	75
354	मैसर्स सुगान केमिकल	खसरा सं. 141/3 142/2 और 141/7, 141/2, 142/1, और 141/6	1	1250	2625	250

		बसनी हरि सिंह, तहसील-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर।				
355	मैसर्स सुंदरम लाइम एंड केमिकल इंडस्ट्रीज	गोतन रोड, गांव - बोरुंडा, तहसील-बिलारा, जिला-जोधपुर।	1	360	756	72
356	मैसर्स तारा मिनरल्स और रसायन प्रा.लि.	गांव बोरुंडा, तहसील-बिलारा, जिला-जोधपुर।	2	810	1701	162
357	मैसर्स विजय लाइम इंडस्ट्रीज	खसरा सं. 2367/1, ग्राम पंचायत-बोरुंडा , भख्रोन की धानी , तहसील-पिपरसिटी, जिला - जोधपुर।	1	833	1749	167
358	मैसर्स कार्तिक अल्कलीज एंड केमिकल्स	साराधना आरआइआइसीओ औद्योगिक क्षेत्र, - पाली।	1	375	750	72
359	मैसर्स श्री देवनारायण लाइम एंड केमिकल	खसरा सं. 1972-2137, बांदुकुई रोड, बलदेवगढ़, तहसील-राजगढ़, जिला - अलवर ।	2	480	1008	120 "।

[फा. सं. क्यू -16017 / 04/2018-सीपीए (पीटी)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018

G.S.R. 495(E).—Whereas, sale and use of petcoke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein sale of petcoke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And Whereas, the State Government of Rajasthan has recommended addition of 36 lime kilns in the Annexure mentioned above and the Central Pollution Control Board has approved the same.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the aforesaid notification, namely;-

In the said notification, in the Annexure, after serial number 323 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:--.

"324	M/s Shri Jeen Mata Chemicals & Lime Private Limited	Village- Lalawas, Tehsil-Khinvsar, District- Nagaur	2	900	1890	180
325	M/s Vikas Lime Products	Khasra No. 364/3, Hariyadhana, Tehsil-Bilara, District Jodhpur	2	1666	3499	333

326	M/s Vikas Lime Industries	Khasra No. 384/25/1, Hariyadhana, Tehsil-Bilara, District Jodhpur	1	600	1260	120
327	M/s Balaji Chemicals	Khasra no. 575/53, Near Mirdha Krishi Farm, Ransi Gaon, Tehsil – Bilara , District Jodhpur	2	833	1749	167
328	M/s Special Lime Stone Pvt. Ltd.	Khasra No. 350 of village Talanpur and Khasra No. 1842 of village Gotan Tehsil- Merta, District- Nagaur	10	6000	12600	1200
329	M/s J B Lime Products	Khasra No. 1903/11/1 Borunda, Tehsil – Bilara, Jodhpur	2	1800	3780	360
330	M/s R K Supplier	Khasra No. 1903/11, Borunda, Tehsil – Bilara, District -Jodhpur	1	1500	3150	300
331	M/s Subham Lime and Chemicals	Village - Bitan, , Tehsil- Merta, District- Nagaur	1	500	1050	100
332	M/s Sahil Bansal	Khasra No. 117, Village Shayam Nagar, Maonda, Tehsil- Neem ka Thana, District-Sikar	1	300	630	60
333	M/s Marudhar Limestone Industries	Khasra No. 725/185, , Basni Harisingh, Tehsil Bhopalgarh, District- Jodhpur	1	1250	2625	250
334	M/s Shri Krishna Limes and Chemicals	Khasra No. 568/1296, Bhawanda, Tehsil- khinvsar, District- Nagaur	1	425	892	85
335	M/s Salasar Minerals	Digarna Tehsil- Jaltaram, District- Pali	3	1833	3849	367
336	M/s Chandra Lime Word.	Khasra No.1301/1/7, Bilara Road, village-Borunda, Tehsil-Bilara, Distritc-Jodhpur.	1	1500	3150	300
337	M/s Dhaneshwari Chemicals	Khasra No. 1323/3, Village-Riyan, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	1500	3150	300
338	M/s Ganesham Industries	Khasra No. 80/10, near Police Thana, Village-borunda, Tehsil-Bilara District-Jodhpur.	1	1500	3150	300
339	M/s Ishwar Micro Minerals Industries	Khasra No. 217/6, village-Suvana, Tehsil-Bhopalgarh, District-Jodhpur.	1	570	1197	114
340	M/s Krishna Chemical & Minerals	Khasra No. 608/4/1, Village-Ransi Gaon, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	1140	2394	228
341	M/s Madhav Lime Industries	Khasra No. 724/7, Ransigaon, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	600	1260	120
342	M/s Mahaveer Chemical	Khasra No. 1502, Village-Borunda, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	750	1575	150
343	M/s Marwar Chemical & alied Products	Khasra No. 215/4 & 215/5, Jhak, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	750	1575	150
344	M/s Monika Lime Industries	Khasra No. 1495/13, Borunda, Tehsil-Piparcity, District-Jodhpur.	3	833	1749	167
345	M/s Munna Lime Products	Khasra No. 1796/15, Borunda, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	3	1000	2100	200
346	M/s Poddar Chemicals	Khasra No. 2381/1/1 & 2395/9/2, Bhakharo ki Dhani, Borunda, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	450	945	90

347	M/s Quality Lime Suppliers	Khasra No. 1836, Borunda-Merta City Road, Borunda, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	2	1261	2648	252
348	M/s Sandune Minerals Pvt. Ltd.	Khasra No. 798 & 801, Khejarla, Tehsil-Bilara, Dist-Jodhpur.	3	3000	6300	600
349	M/s Shree Nagnecha minerals & Chemical	Khasra No. 1502/2, Village-Borunda, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	750	1575	150
350	M/s Shyam Chemicals	Khasra No. 724/3/1, Village-Ransi Gaon, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	625	1313	125
351	M/s Sonal Lime Industries	Khasra No. 72/12/1, Borunda, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	450	945	90
352	M/s Srikant Minerals Pvt. Ltd.	Khasra No. 255/3, Khejarla-Ransi Road, Village-Ransi Gaon, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	4	2400	5040	480
353	M/s Subham Chemicals	Khasra No. 616, Haridhana, Tehsil-Bilara, District-Jodhpur.	1	375	788	75
354	M/s Sugan Chemical	Khasra No. 141/3 142/2 and 141/7, 141/2, 142/1, and 141/6, Basni Hari Singh, Tehsil-Bhopalgarh, District-Jodhpur.	1	1250	2625	250
355	M/s Sundram Lime and Chemical Industries	Gotan Road, Village-Borunda, Tehsil-bilara, Dist-Jodhpur.	1	360	756	72
356	M/s Tara minerals & Chemicals pvt. Ltd.	Village-Borunda, Tehsil-Bilara, Dist-Jodhpur.	2	810	1701	162
357	M/s Vijay Lime industries	Khasra No. 2367/1, Gram Panchayat-Borunda, Bhakhron ki Dhani, Tehsil-Piparcity, Dist-Jodhpur.	1	833	1749	167
358	M/s Kartik Alkalies & Chemicals	Saradhna RIICO Industrial Arera, Dist-Pali.	1	375	750	72
359	M/s Shri Devnarayan Lime & Chemical	Khasra No. 1972-2137, Bandukui Road, Baldevgarh, Tehsil-Rajgarh, Dist-Alwar.	2	480	1008	120".

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA (pt)]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:- The principle notification was published vide number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.28 22:36:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.